विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	वन विभाग
प्रश्न संख्या तारांकित	:	3267
उत्तर की तिथि	:	18–09–2020
विषय	:	एफ0 आर0 ए0
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात)
सम्बन्धित मंत्री	:	वन मन्त्री

क0स0	प्रश्न	उत्तर
(क)	यह सत्य है कि प्रदेश में FRA Permissions और green felling बन्द है; यदि हां, तो कब से तथा इनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और	(क) व (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	सरकार कब से FRA Permission देने का विचार रखती है?	

****

माननीय विधायक श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात) द्वारा पूछे गये तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 3267 से सम्बन्धित सूचना।

(क) जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition No. 202/1995 में दायर I.A. No. 3840/2014 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 के द्वारा प्रदेश में FRA Permissions पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। वास्तव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition No. 202/1995 में पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 के द्वारा प्रदेश में वन क्षेत्रों से हरे पेड़ों के कटान पर लगाये गये प्रतिबन्ध को खुलवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा माननीय न्यायालय में I.A. No. 3840/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 16.02.2018 के द्वारा प्रदेश के तीन वन मण्डलों के तीन वन परिक्षेत्रों में खैर, चीड़ व साल प्रजाति के हरे वृक्षों के कटान की अनुमति प्रयोगात्मक तौर पर प्रदान की। इस कार्य के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक, दो–सदस्यीय कमेटी का इस निर्देश के साथ गठन किया गया कि वह प्रत्येक छः मास में अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। इस कमेटी द्वारा फरवरी 2019 में दूसरी छः मासिक रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश दिनांक 11.3.2019 के द्वारा प्रदेश में FRA,2006 की धारा 3(2) के अन्तर्गत दी जाने वाली Permissions पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। जहां तक Green felling बन्द होने का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में दिनांक 23.03.1994 से हरे पेड़ों के कटान पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। यह प्रतिबन्ध पूर्व में सेब पैकिंग की पेटियों के निर्माण हेतू पेड़ों के भारी कटान के मध्यनजर लगाया गया। तदोपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition No. 202/1995 में पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 के द्वारा प्रदेश में वन क्षेत्रों से हरे पेड़ों के कटान पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा I.A. No. 3840/2014 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 में FRA Permissions पर लगाए गये प्रतिबन्ध को हटाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे अब तक आठ शपथ पत्र दायर किये जा चुके हैं जिनमें अन्तिम शपथ पत्र जून 2020 में दायर किया गया। चूंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अतः FRA Permissions का खुलना माननीय न्यायालय के आगामी आदेशों पर निर्भर करता है।

***